by Speed Post

सत्यमेव जयते

Government of India
National Commission for Scheduled Tribes

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

File No. SKM/1/2018/STGDH/SEPROM/RU-I **Date: 15.03.2019**

To,

1. The Chairman,
   Railway Board, Rail Bhawan,
   Rafi Marg,
   New Delhi-110001

2. The Principle Financial Advisor &
   Chief Account Officer,
   North Central Railway
   Subedarganj, Prayagraj- UP

3. The General Manager,
   North Central Railway
   Subedarganj, Prayagraj- UP

Sub: Proceeding of sitting taken by Hon'ble Vice Chairperson of National Commission for Scheduled Tribes, (NCST) on. 07.03.2019 in the matter of Shri Sanjay Kumar Meena and Shri Deshraj Meena, Account Clerk, North Central Railway regarding conspiracy for demotion.

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of Proceedings of the sitting taken by Miss Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice Chairperson of National Commission for Scheduled Tribes (NCST) on 07.03.2019 for information and necessary action.

It is, requested that action taken report in this regard may please be sent to the Commission within 15 days.

Encl: As above

Yours faithfully,
[signature]
(Rajeshvar Kumar)
Assistant Director

Copy to:

1. Shri Sanjay Kumar Meena, Account Clerk, North Central Railway Project Unit, IRCOT Complex, Behind Shankar Market, New Delhi- 110001
2. Shri Deshraj Meena, Account Clerk, North Central Railway Project Unit, IRCOT Complex, Behind Shankar Market, New Delhi- 110001
3. PS to Hon'ble Vice Chairperson, NCST
4. SAS. NIC. NCST upload on the web site.

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- SKM/1/2018/STGDH/SEPROM/RU-I)

श्री संजय कुमार मीणा तथा श्री देशराज मीणा, अकाउंट क्लर्क, उतर-मध्य रेलवे प्रोजेक्ट यूनिट, आईआरसीओटी कॉम्प्लेक्स, शंकर मार्केट, नई दिल्ली के द्वारा पदोन्नति मे आरक्षण नियमों के उल्लंघन तथा पदावनत करने के मामले मे आयोग को प्राप्त अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 07.03.2019 को आयोग में आयोजित सीटिंग का कार्यवृत.

बैठक की तिथि	:	07.03.2019
बैठक में उपस्थित अधिकारी	:	परिशिष्ट 'क'

---

1. श्री संजय कुमार मीणा तथा श्री देशराज मीणा, अकाउंट क्लर्क, उतर-मध्य रेलवे प्रोजेक्ट यूनिट, आईआरसीओटी कॉम्प्लेक्स, शंकर मार्केट, नई दिल्ली के द्वारा पदोन्नति मे आरक्षण नियमों के उल्लंघन तथा पदावनत करने के मामले मे आयोग में अभ्यावेदन देकर न्याय दिलाने का निवेदन किया।
2. अभ्यावेदक के मामले में विचार करते हुए आयोग ने नोटिस भेजकर दिनांक 28.02.2019 को एक सीटिंग नोटिस जारी कर अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, प्रधान वित्तीय सलाहकार, तथा महाप्रबंधक रेलवे बोर्ड को दिनांक 07.03.2019 को आयोग मे चर्चा के लिए बुलाया।
3. आयोग में चर्चा के लिए श्री योगेश कुमार श्रीवास्तव, प्रधान वित्तीय सलाहकार, तथा श्री विवेक प्रकाश, लाइजन अधिकारी और श्रीमती जाह्नवी तिवारी, उप वित्तीय सलाहकार उपस्थित हुए।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

4. बैठक के दौरान आयोग ने अभ्यावेदक से अपनी समस्या प्रस्तुत करने को कहा। अभ्यावेदक ने आयोग को अवगत कराया कि, वे लेखा लिपिक के पद पर एनसीआरपीयू नई दिल्ली मे कार्यरत हैं। उन्हे कार्यालय आदेश संख्या 70/2015 दिनांक 06.10.2015 के माध्यम से कार्यालय खलासी से लेखा लिपिक के पद पर पदोन्नत किया गया था। किन्तु इसके करीब 2 वर्ष 3 माह पश्चात पत्रांक- लेखा/उमरे/प्रशा/पदों./वर्ग/घ से ग/ 25%कोटा/2011/219 अ दिनांक- 29.12.2017 के द्वारा उन्हे पदावनत कर दिया गया। उक्त पत्र मे लिखा गया कि जिस कार्यालय आदेश से उन्हे पदोन्नति दी गई थी उसके पश्चात बाद मे जांच से यह बात संज्ञान मे आई कि संदर्भित पैनल मे उनकी पदोन्नति त्रुटिवश सामान्य कोटा के तहत हो गई थी। इस त्रुटि के सुधार के लिए उन्हे पदावनत किया जा रहा है। जबकि एसटी कोटे के व्यक्ति की पात्रता और अन्य अहर्ता भी वे पूरी करते हैं।
5. उत्तर मध्य रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि उनकी पदोन्नति त्रुटि वश हो गई थी और अब उन्हे पद पर रखा जाना संभव नाही है क्योंकि समूह ग के पदों पर पदोन्नति की पात्रता कम से कम 3 वर्ष की लगातार सेवा पूरी करना जरूरी होता है। इसके प्रत्युत्तर मे अभ्यावेदक ने उत्तर मध्य रेलवे के वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी के एक आदेश- लेखा/उमरे/प्रशा/पदों./वर्ग/घ से ग/ 25%कोटा/219 दिनांक- 10.04.2015 प्रस्तुत किया जिसमे स्पष्ट उल्लेख ज्किया गया है कि उक्त पात्रता की शर्तें एससी और एसटी के उम्मीदवारों पर लागू नही होगी।
6. आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने तथा दस्तावेजों का परीक्षण करने के पश्चात पाया कि मामले मे अभ्यावेदकों के साथ न्याय नही किया गया है। अतः आयोग इस मामले मे निम्नलिखित अनुशंसा करता है:
   क. तत्काल इनके पदावनति को निरस्त करते हुये इन्हे लेखा लिपिक के पद पर बरकरार रखा जाय।
   ख. भविष्य मे भी इनकी पदोन्नति के मामलों मे विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आलोक मे सभी पदोन्नति के लिए इनकी अहर्ता और सेवा शर्तो को नियमानुकूल और सही तरीके से जांच कर विभाग सभी उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण करे और अभ्यावेदक को न्याय दिलाना सुनिश्चित करे।
   ग. मामले मे की गई कार्यवाही से आयोग को 15 दिन के अंदर अवगत कराया जाय।

सुश्री अनुसुईया उईके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India

परिशिष्ट- क

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- SKM/1/2018/STGDH/SEPROM/RU-I)

श्री संजय कुमार मीणा तथा श्री देशराज मीणा, अकाउंट क्लर्क, उतर-मध्य रेलवे प्रोजेक्ट यूनिट, आईआरसीओटी कॉम्प्लेक्स, शंकर मार्केट, नई दिल्ली के द्वारा पदोन्नति मे आरक्षण नियमों के उल्लंघन तथा पदावनत करने के मामले मे आयोग को प्राप्त अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 07.03.2019 को आयोग में आयोजित सीटिंग मे उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची-

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. सुश्री अनुसुईया ऊइके, माननीय उपाध्यक्ष
2. श्री ए. के. सिंह, सचिव
3. श्री गौरव कुमार, उपाध्यक्ष के निजी सचिव

उत्तर मध्य रेलवे के अधिकारी

1. श्री श्री योगेश कुमार श्रीवास्तव, प्रधान वित्तीय सलाहकार,
2. श्री विवेक प्रकाश, लाइजन अधिकारी
3. श्रीमती जाह्नवी तिवारी, उप वित्तीय सलाहकार

अभ्यावेदक

1. श्री संजय कुमार मीणा
2. श्री देशराज मीणा